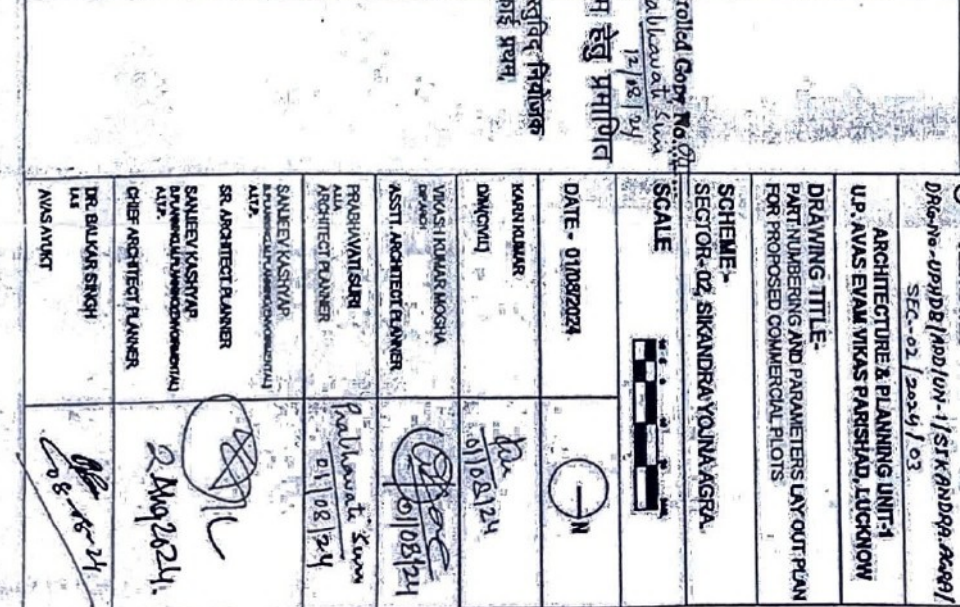


[illegible]



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड आगरा-02

सेक्टर-13, ऑफिस कॉम्प्लैक्स, तृतीय तल, पं०
दीनदयाल उपाध्यायपुरम, (सिकन्दरा योजना), आगरा।

Email : eecd30@gmail.com, cd30agr@upavp.com



पत्रांक:

/UPHDB/CD Agra-2/

/

दिनांक:

/ 2025

सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-2 में स्थित 21 नग व्यावसायिक प्लॉटों विकास कार्यो व सुविधाओं का विस्तृत विवरण

उक्त सन्दर्भित 21 नग व्यावसायिक पॉकेट पूर्व से ही विकसित परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-2 में स्थित है। उक्त योजना पूर्व से ही लोकल वाड़ी, नगर निगम, आगरा को हस्तगत है। उक्त व्यावसायिक पॉकेट में 21 नग व्यावसायिक प्लॉटों के सम्मुख निम्न विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त उक्त पॉकेट का रखरखाव लोकल वाड़ी के रूप में नगर निगम, आगरा द्वारा परिषद से हस्तान्तरण उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है:-

1. पॉकेट के अन्तर्गत एन०पी० 3 टाइप हयूम पाइप 250 mm व्यास की सीवर लाइन बिछाया जायेगा जिसको सफाई हेतु जगह जगह मेनहोल का निर्माण कराया जायेगा।
2. पॉकेट के अन्तर्गत 12.00 चौड़ी (जिसका पक्का पार्ट 4.50 मी० है), बिटुमिन सड़कों का निर्माण कार्य किया जायेगा।
3. पेयजल सप्लाई हेतु 110 mm व्यास की पी०वी०सी० पाइप लाइन बिछाई जायेगी, जिसको पूर्व में नगर निगम, आगरा द्वारा मेन सड़क पर बिछाई गयी लाइन पेयजल सप्लाई लाइन से जोड़ा जायेगा।
4. पॉकेट के अन्तर्गत सी-2 प्रकार की स्ट्राम वॉटर ड्रेन बनाई जायेगी, जिसको ट्रंक सड़क पर स्थित बड़ी नाली से जोड़ा जायेगा।

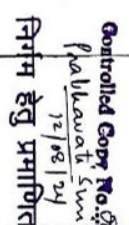
(नवजोत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता



- 1- Inset Stair Backs are Mandatory for upto 15.0 M. Height of building. For buildings above the permissible height, Setbacks shall vary as per clause no.-3.4.5 (i) of UP/MDH- 2018.
- 2- Parking & other Norms as per Building Bye Laws-2018.
- 3- Any discrepancy in plot dimensions as per site shall be brought to the notice of concerned Architect/Planner.

AFFECTED BY COURT CASE NO-
348/2006 AS PER INFORMATION
GIVEN BY EX EN, C.D.-02 AGRA.


 Pabla Pratik Singh
 22/10/25
 22/10/25
 या. शा. नि. यास्तुविद. नियोजक मुक्त यास्तुविद. नियोजक



वास्तुविद् नियोजक
इकाई प्रथम,

[illegible]